संख्या 679 /XI/06/01(मु0मं0घो0)/06

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में ,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग: देहरादून दिनांक 09 नवम्बर,, 2006

विषयः– राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम सहस्त्रधारा रोड़ में आयोजित प्रदर्शनी उदघाटन में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 679/XXI / 06/4–मा.मु.मं.घो0/05 दिनांक 1 अगस्त, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा द्वारा राज्य स्तरीय शिल्प इम्पोरियम केन्द्र सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून के सौन्दर्यकरण, साज–सजा कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यो के हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन रुपये 70.00 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षणोंपरान्त निम्नानुसार संस्तुत धनराशि रु0 28.94 लाख (रु0 अठ्ठाईस लाख चौरानब्बे हजार मात्र) :–

क्रं0 स0	कार्य का नाम	विभाग द्वारा प्रस्ता. आगणन की धनराशि	टी0एस0सी0द्वारापरीक्षणोपरान्त आगणन धनराशि
1	एमफिथियेटर की दर्शकदीर्धा की छत	10.02	9.48
2.	सुरक्षा कार्य व सौन्दर्यीकरण	22.44	18.35
3.	उक्त मदों पर4 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय	2.15	1.11
	योग	34.61	28.94

की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 में 28.94 लाख (रु0 अठ्ठाईस लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि धनराशि व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

(4) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

(5) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ताओ द्वारा अवश्य करा लें निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये

(7) आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय ।

(8) एक मुस्त प्राविधान को कार्य कराये जाने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टीग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10) जी0पी0डब्लू0फार्म 09 की शर्तो के अनुसार निमार्ण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथाकार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निमार्ण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

किसी भी कार्यालय/सस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

(11) मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश सख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

(12) सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाये ।

(13) कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा । कार्य को समयबद्व ढ़ग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों / नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय । धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायें ।प्राक्कलनों की एक प्रति संलग्न प्रेषित हैं ।

(15) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुपूरक अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–00–102–सामुदायिक विकास–आयोजनागत –11–राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरिमय का विकास –20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

(16) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 152 /वि0अनु0–4/2006 दिनांक 06 नवम्बर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है ।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव ।

संख्या 671/XI/06/ 56(07)/2004 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकर, उत्तरांचल देहरादून ।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4– मुख्य विकास अधिकारी,/जिला विकास अधिकारी देहरादून ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियनत्रण सेवा उत्तरांचल देहरादून ।
7– अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गढ़वाल परिमण्डल/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून ।
10– वित्त (बजट नियत्रंण) अनुभाग–4 उत्तरांचल शासन ।
11– नियोजन अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
12– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन , सचिवालय
13 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव ।